प्रेस विज्ञप्ति
11.01.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), लखनऊ ज़ोनल कार्यालय ने अयोध्या प्रसाद मिश्रा (एमडी), यूपीपीसीएल (उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड) के खिलाफ मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 2.85 करोड़ रुपये की संपत्ति को अनंतिम रूप से कुर्क किया है। कुर्क की गई संपत्तियां अयोध्या प्रसाद मिश्रा और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर लखनऊ और गोंडा जिलों में स्थित तीन अचल संपत्तियों (यानी लखनऊ में एक आवासीय फ्लैट व एक वाणिज्यिक दुकान और गोंडा में एक कृषि भूमि) के रूप में हैं।

ईडी ने यूपी विजिलेंस, पुलिस स्टेशन लखनऊ द्वारा पीसी एक्ट, 1988 की धारा 13(2) सहपठित 13(1)(बी) के तहत तत्कालीन प्रबंध निदेशक यूपीपीसीएल (सेवानिवृत्त) अयोध्या प्रसाद मिश्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। आरोप है कि अयोध्या प्रसाद मिश्रा ने निर्धारित अवधि में वैध स्रोतों से कुल 1.92 करोड़ रुपये (लगभग) की आय अर्जित की, जिसके सापेक्ष 5.08 करोड़ रुपये (लगभग) संपत्ति निर्माण पर खर्च किए गए। इस प्रकार, आय के संबंध में उनके द्वारा 3.15 करोड़ रुपये (लगभग) अधिक खर्च किए गए, जो कि अवधि के दौरान उनकी वैध आय से 163.23% अधिक पाया गया।

ईडी की जांच से पता चला है कि अयोध्या प्रसाद मिश्रा ने अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का इस्तेमाल अपने द्वारा अर्जित अवैध धन को विभिन्न अचल संपत्तियों के अधिग्रहण में लगाने और एकीकृत करने के लिए किया। इसके अलावा, अपराध की आय (पीओसी) को लखनऊ और गोंडा में उनके और उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कृषि/वाणिज्यिक/आवासीय संपत्ति के अधिग्रहण के लिए रखा गया था। इस मामले में ईडी, लखनऊ द्वारा इन्हें अनंतिम रूप से कुर्क कर लिया गया है।

आगे की जांच जारी है।